

2023/62.

फर्द अहकाम
(नियम 15)

छात्रीज
25.7.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
नेतराम बनाम जीवणराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 283 वर्ष 2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुये

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

10.10.2023

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.11.2023 को पेश हो

17.11.2023

एकलाए करीकन उपास्थत/PU माह ६५०००
पत्रावली पेश की
गस्त १२/११/२०२३ दिनांक १७.११.२०२३
को पेश हो

18.1.2024

एकलाए करीकन उपास्थत/PU माह ६५०००
पत्रावली पेश की
गस्त १२/११/२०२३ दिनांक १९.१.२०२४
को पेश हो

19.3.2024

एकलाए करीकन उपास्थत/PU माह ६५०००
पत्रावली पेश की
गस्त १२/११/२०२३ दिनांक २३.३.२०२४
को पेश हो

23.5.2024

एकलाए करीकन उपास्थत/PU माह ६५०००
पत्रावली पेश की
गस्त १२/११/२०२३ दिनांक २३.५.२०२४
को पेश हो

23.7.2024

एकलाए करीकन उपास्थत/PU माह ६५०००
पत्रावली पेश की
गस्त १२/११/२०२३ दिनांक २३.७.२०२४
को पेश हो

25.7.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील अभी उपस्थित नहीं। वकील की कमी स्वयं को कार-कार साकाज लगाई और भी हाजिर नहीं। वाद नहीं अदम हालती व अदम पत्रों में छात्रीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम भी जाकर काउ नरमीक तकमील जाहला दाखिल रहकर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

